भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 397*

08 जनवरी, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें

397. श्री बलभद्र माझीः

श्री दिनेश त्रिवेदीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सी-2 (व्यापक लागत) के 1.5 गुणा पर निर्धारित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्वामीनाथन समिति की सिफारिश कब तक कार्यान्वित की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्वामीनाथन समिति की उपर्युक्त सिफारिश के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चावल के संबंध में सरकार की आज तक क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में चावल के उत्पादन पर व्यवस्था का कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो विगत वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अक्तूबर, 2018 में 14 खरीफ फसलों में से 10 फसलों का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पॉच वर्षों से एमएसपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री राधा मोहन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें" के संबंध में दिनांक 08.01.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) डा.एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) ने यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तथापि, जब तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को अंतिम रूप दिया गया तब उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने की इस सिफारिश को शामिल नही किया गया था। एनसीएफ, 2006 की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए लागत के भिन्न-भिन्न आयामों पर चर्चा हुई, परन्तु राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को अंतिम रूप देते समय, तत्कालीन सरकार ने अन्य आयामों को स्वीकार नहीं किया तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की स्थापित पद्धति को ही अपनाया।

सरकार सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों तथा अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद धान सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। इसके अलावा, तोरिया और छिलका रहित नारियल का एमएसपी भी क्रमश: रेपसीड/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि और जल जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सहित उत्पादन लागत तथा कई अन्य कारकों जैसे मांग-आपूर्ति स्थिति, घरेलू और अंर्तराष्ट्रीय मूल्यों में प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों और उपभोक्ता तथा समग्र अर्थव्यवस्था पर एमएसपी के संभावित प्रभाव पर विचार करता है। विचार की गई लागतें व्यापक है और इसमें सभी अदा की गई लागतें जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम के लिए व्यय, भूमि में पट्टे के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसे भौतिक आदानों के उपयोग के लिए नकद या वस्तु के रूप में व्यय, सिंचाई प्रभार, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली का व्यय आदि, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल हैं।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 के लिए

धान सहित सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक था, क्योंकि यह पहली बार सभी अधिदेशित फसलों के लिए अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

(ग) अन्य कृषि नीतियों के साथ मूल्य नीति से धान के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि इसके अधीन बुआई का क्षेत्र कई वर्षों से लगभग समान ही है। अखिल भारतीय स्तर पर धान का उत्पादन 2013-14 में 106.65 मिलियन टन से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2017-18 में 112.91 मिलियन टन हो गया है (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार)। 2017-18 के लिए चावल का राज्य-वार उत्पादन ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(घ) कृषि उत्पाद का मूल्य दैनिक आधार पर बाजार में आपूर्ति और मांग स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। कृषि उत्पाद के मूल्य कटाई के बाद नई फसल के बाजार में वृहत मात्रा में आने के कारण कम हो जाते हैं। अक्तूबर, 2018 के महीने के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी और थोक मूल्य **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ङ) 2014-15 से 2018-19 तक एमएसपी में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है।

अनुबंध 1

दिनांक 08.01.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यवार चावल का उत्पादन

(000' टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	**2017-18***
आन्ध्र प्रदेश	8176.2
असम	5164
बिहार	7911.2
छत्तीसगढ़	4725.5
गुजरात	2039
हरियाणा	4523.4
हिमाचल प्रदेश	116.6
जम्मू और कश्मीर	613.9
झारखण्ड	4078
कर्नाटक	2807
केरल	499
मध्य प्रदेश	4123.9
महाराष्ट्र	2712.7
ओडिसा	6527.9
पंजाब	13382
राजस्थान	450.9
तमिलनाडु	7277.7
तेलंगाना	6250
उत्तर प्रदेश	13270.6
उत्तराखण्ड	655
पश्चिम बंगाल	14967
अन्य	2633.8
अखिल भारत	**112905.5**

* चौथा अग्रिम अनुमान

अनुबंध-2

दिनांक 08.01.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं थोक मूल्य

(रू. प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	**खरीफ फसलें**	**एमएसपी 2018-19**	**थोक मूल्य (अक्टूबर, 2018)**
1	धान (सामान्य)	1750	1688
2	ज्वार (हाईब्रिड़)	2430	2320
3	बाजरा	1950	1744
4	मक्का	1700	1515
5	रागी	2897	2651
6	अरहर (तूर)	5675	4077
7	मूंग	6975	5410
8	उड़द	5600	4906
9	कपास (मध्यम रेशा)	5150	5598
10	मूंगफली छिलका सहित	4890	4713
11	सूरजमुखी बीज	5388	3474
12	सोयाबीन	3399	3316
13	तिल	6249	10043
14	रामतिल	5877	4408

अनुबंध- 3

दिनांक 08.01.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में प्रतिशत वृद्धि

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	खरीफ फसलें						
1	धान	सामान्य	3.8	3.7	4.3	5.4	12.9
		ग्रेड 'ए'	4.1	3.6	4.1	5.3	11.3
2	ज्वार	हाईब्रिड	2.0	2.6	3.5	4.6	42.9
		मालदांडी	2.0	2.6	3.8	4.5	42.3
3	बाजरा		0.0	2.0	4.3	7.1	36.9
4	मक्का		0.0	1.1	3.0	4.3	19.3
5	रागी		3.3	6.5	4.5	10.1	52.5
6	अरहर (तूर)		1.2	6.3	9.2	7.9	4.1
7	मूंग		2.2	5.4	7.7	6.7	25.1
8	उड़द		1.2	6.3	8.1	8.0	3.7
9	कपास	मध्यम रेशा	1.4	1.3	1.6	4.1	28.1
		लम्बा रेशा	1.3	1.2	1.5	3.8	26.2
10	मूंगफली छिलका सहित		0.0	0.8	4.7	5.5	9.8
11	सूरजमुखी बीज		1.4	1.3	3.9	3.8	31.4
12	सोयाबीन	पीला	0.0	1.6	6.7	9.9	11.5
13	तिल		2.2	2.2	6.4	6.0	17.9
14	रामतिल		2.9	1.4	4.8	5.9	45.1
	रबी फसलें						
15	गेहूं		3.6	5.2	6.6	6.8	6.1
16	जौ		4.5	6.5	8.2	6.4	2.1
17	चना		2.4	10.2	14.3	10	5.0
18	मसूर (लेन्टिल)		4.2	10.6	16.2	7.6	5.3
19	रेपसीड/सरसों		1.6	8.0	10.4	8.1	5.0
20	कुसुम्भ		1.7	8.2	12.1	10.8	20.6
21	तोरिया		0.0	8.9	8.2	9.6	7.4
	अन्य फसलें						
22	कोपरा	मिलिंग	0.0	5.7	7.2	9.2	15.6
	(कैलेण्डर वर्ष)	बाल	0.0	6.0	7.0	8.7	14.2
23	छिलका रहित नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		0.0	5.3	6.7	10.0	15.3
24	पटसन		4.3	12.5	18.5	9.3	5.7
25	गन्ना		4.8	4.5	0.0	10.9	7.8

****